

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/१३६ /

जबलपुर, दिनांक 22/02/2019

श्री आशीष जायसवाल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "जबलपुरे कॉलेज ऑफ कम्प्यूटर एंड कम्प्यूनिकेशन महाविद्यालय, जबलपुर से बी.कॉम (सी.ए) छठवें सेमेस्टर के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है : -

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

20-2-19
(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल
Par

पृष्ठांकन क्रमांक C/१३७ /

जबलपुर, दिनांक 22/02/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा / कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
 3. ज्वाईट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. सहायक स्थापना / प्रोटोकॉल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. श्री आशीष जायसवाल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

20-2-19
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Par

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक C/९३८ /

जबलपुर, दिनांक 22/02/2019

श्री रामचरण कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को 'रानी दुर्गावती' विश्वविद्यालय, जबलपुर से एलएल.बी पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है : -

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।
4. यह कि यदि उनकी ड्यूटी का स्थान एवं समय में परिवर्तन होता है तो उनके कर्तव्य निर्वहन पर विपरित प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।



(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल
pur

पृष्ठांकन क्रमांक C/९३९ /

जबलपुर, दिनांक 22/02/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा / कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार..... (समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना / प्रोटोकॉल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री रामचरण कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
pur

/

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक C/944 /

जबलपुर, दिनांक 22/02/2019

सुश्री प्रियंका पिठवे आत्मजा श्री के.के. पिठवे द्वारा रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/463 जबलपुर, दिनांक 22.01.2019 के पालन में शीघ्रलेखक के फृद पर वेतनमान रूपये 9300—34800+ ग्रेड पे. रु. 3600/- (7 वें वेतनमान में लेवल 9 पे मेट्रीक्स 36200—114800) में नियमानुसार समय—समय पर देय भत्तों सहित उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर दिनांक 14.02.2019 पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया।

MS Duley 22/2/2019
(यू. एस. दुबे)
रजिस्ट्रार कम—पी.पी.एस.
Par

पृ.क्र C/945 /

जबलपुर, दिनांक 22/02/2019

प्रतिलिपि :-

1. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन/बजट/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/अवकाश/वेतनपत्रक/सी.पी.एफ. पासबुक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

MS Duley 22/2/2019
(यू. एस. दुबे)
रजिस्ट्रार कम—पी.पी.एस.
Par